

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

ना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
45/18	88, 89, 53 एवं 136 LRPD	सोतीपुरा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रामपति	बनाम	सुजामोहन कोरा	

कील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
8/18	वकील पक्षी द्वारा एक कोर्ट अंतर्गत धारा 88, 89, 53 LRPD विरुद्ध सुजामोहन कोरा द्वारा रिपोर्ट सं. ... प्रकरण दर्ज सजिस्ट्रेट ... सुजामोहन कोरा ... तलब कर प्रकरण दिनांक 31/7/18 को पेश हो।	
31/7/18	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 4.9.18 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
4/9/18	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 16.10.18 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
16/10/18	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 23.11.19 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	
23/10/19	पत्रावली पेश हुई। कबल शीर्षक उपस्थित। तलब के हेतु तलब की आज ही पेश करें। करते तलब के पत्रावली दिनांक 20/2/019 को पेश हो।	तलब के पत्रावली
25/3/19	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. आदेश रामपति से बाहर प्रभारे हैं। पूर्ववत् पत्रावली दिनांक 15/11/19 को पेश हो।	तलब के पत्रावली
15.4.19	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 23.5.19 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
8.9.25	<p>पत्रावली पेशा है। कमुलए परीनेन उफण वकील वादी प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नहीं पाइते है। प्रकरण को Not press करना पाइते है। प्रकरण Not press के इसी स्तर पर खारिन किया जाता है। पत्रावली फेरल शुमार होकर दखिल रफ्तार है।</p>

~~श~~

नोटिफ
ज.के.भा